संख्या-18/2023/647/78-2-2023/ई-1399007

प्रेषक,

रवि रंजन
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य आय-व्ययक की अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि 4404.90 लाख के सापेक्ष "मुख्यमंत्री हेल्पलाइन" हेतु रू0-710.00 लाख (प्रथम त्रैमास हेतु) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-डी/23-24/0117, दिनांक 10-04-2023 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के संदर्भ में पत्र संख्या-डी/23-24/1323, दिनांक 24-06-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/ स्पष्टीकरण के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 हेतु काल सेन्टर एजेन्सी (सीसीए) से प्राप्त होने वाली एनवाइसेज के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये आगणन के आधार पर प्रथम त्रैमास (अप्रैल 2023 से जून 2023 तक) हेतु भुगतान हेतु राज्य आय-व्ययक की अनुदान संख्या-007 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि 4404.90 लाख के सापेक्ष "मुख्यमंत्री हेल्पलाइन" हेतु धनराशि रू0-710.00 लाख (रुपये सात करोड़ दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित् शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94,दिनांक 26 फरवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-17/2022/बी-1-574/दस-2022-16/94,दिनांक 29 जुलाई, 2022 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
6. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एक मुश्त / बैंक खाते / अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
8. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद उद्योग निदेशक,कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
10. अग्रतर स्वीकृति का प्रस्ताव करते समय स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
11. भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-03-2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 के पत्र संख्या- मु0मं0सं0 12(1)/78-2-2020-66आईटी/2017टीसी दिनांक 13-6-2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0-7,10,00,000(रुपये सात करोड़ दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072020700 मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि रंजन
विशेष सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमतीनगर, लखनऊ ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-4
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
11. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
12. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि रंजन
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।